सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

फा.स. NCST/ATY-869/RJ/14/2023-APCR **दिनांक:26.07.2024**

सेवा में,

श्री बीजू जॉर्ज जोसेफ
पुलिस आयुक्त
पुलिस आयुक्त कार्यालय
गवर्नमेंट हॉस्टल, एम.आई रोड
जयपुर -302001 (राजस्थान)
ई मेल: cp.jaipur@rajpolice.gov.in

विषय: अपमानित करने और जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल करने के सम्बन्ध में- श्री जगन सिंह मीणा, पुत्र श्री रामफूल, 121 लवकुश नगर, जयपुर, राजस्थान का अभ्यावेदन।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर आयोग की माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त सुनवाई का कार्यवृत इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। आपसे अनुरोध है कि सुनवाई में लिए गए निर्णयों व आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर कार्रवाई करते हुए अनुपालन रिपोर्ट इस आयोग को 15 दिन के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

संलग्न : यथोपरि

भवदीय

(एच.आर. मीना/ H.R.Meena)
अनुसंधान अधिकारी/ Research Officer
Email ID: hari.rammeena@ncst.nic.in

प्रतिलिपि प्रेषित:-

श्री जगन सिंह मीणा,
पुत्र - श्री रामफूल,
121 लवकुश नगर,जयपुर,
राजस्थान - 471515
मोबाइल नंबर – 9530401461

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

NCST/ATY-869/RJ/14/2023-APCR

श्री जगन सिंह मीणा, पुत्र- श्री रामफूल, 121 लवकुश नगर, जयपुर, राजस्थान की शिकायत के मामले में आयोग के माननीया सदस्य डॉ. आशा लकड़ा की अध्यक्षता में दिनांक 27.06.2024 को आयोग में हुई सुनवाई का कार्यवृत।

सुनवाई की तिथि : 27.06.2024, **12:20** P.M.

सुनवाई में उपस्थित अधिकारी : परिशिष्ट

श्री जगन सिंह मीणा, पुत्र- श्री रामफूल, 121 लवकुश नगर, जयपुर, राजस्थान से दिनांक 12.12.2022 की शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होने बताया कि उसने श्री ओम प्रकाश पुनिया, अध्यक्ष दी कृष्णा कॉ-परेटिव सोसाइटी लिमिटेड, कृष्णा कॉम्प्लेक्स बाईस गोदाम जयपुर से वर्ष 1990 में सोसाइटी की योजना मानसागर विस्तार, एयरपोर्ट के पास प्लॉट न.- 198 व 199 क्रय किए, उनके द्वारा उक्त दोनों प्लॉट(भूखण्ड) की कीमत का पैसा भुगतान कर दिया गया था किन्तु प्लॉट पर कब्जा तथा प्लॉट पर आने जाने का रास्ता नहीं दिलाया गया, जातिसूचक गालियां दी गयी, भेदभाव किया गया और अपमानित किया गया, उन्होने सुनियोजित आपराधिक षड़यंत्र के तहत जानभूझ कर उनके प्लाट पर आने जाने का रास्ता बंद कर दिया, जिस हेतु याचिकाकर्ता ने आयोग से कार्रवाई की मांग की थी।

2. आयोग द्वारा इस मामले को पुलिस आयुक्त, राजस्थान के साथ दिनांक 30/01/2023 को उठाया गया था और 07 दिन में रिपोर्ट मांगी गई थी।

3. जिसके सम्बंध में पुलिस आयुक्त, राजस्थान की ओर से कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ है। आयोग द्वारा दिनांक 27.06.2024 को पुलिस आयुक्त, राजस्थान के साथ आयोग में सुनवाई तय की गयी।

4. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस उपायुक्त, पूर्व जयपुर पुलिस आयुक्तालय उपस्थित हुए। शिकायतकर्ता श्री जगन सिंह मीणा भी प्रकरण की सुनवाई में उपस्थित हुए।

आशा लकड़ा

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

5. प्रकरण की सुनवाई में पुलिस उपायुक्त, पूर्व जयपुर ने प्रकरण से संबन्धित तथ्य प्रस्तुत किए। जिसमें उन्होने बताया कि रास्ते पर अतिक्रमण किया हुआ है तथा भूमी से संबन्धित मामले जयपुर विकास प्राधिकरण देखता है, जिसमें शिकायतकर्ता श्री जगन सिंह मीणा ने बताया कि आवासीय भूखंड के पट्टे उसे सोसायटी ने आवंटन किए थे।

प्रकरण पर सुनवाई के उपरांत आयोग द्वारा निम्न अनुशंसाए की जाती है:-

1. मामले में पुलिस द्वारा शिकायतकर्ता के परिवार की सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाए

2.. मामले में आरोपीगण के खिलाफ एस.सी/एस.टी (POA) अधिनियम के तहत मामला दर्ज करके जांच की कार्रवाई की जाए

3. शिकायतकर्ता को उनके भूखंड में आने जाने के लिए रास्ता दिलवाया जाए

4. मामले में आयोग की ओर से आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण व आयुक्त कॉ-ओपरेटिव सोसाइटी, राजस्थान को नोटिस भेजा जाए

5. भविष्य मे आयोग के नोटिस का जवाब समय पर दिया जाए

मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 30 दिन के अंदर आयोग में प्रस्तुत की जाए

आशा लकड़ा
12/07/2024

(डॉ. आशा लकड़ा)

सदस्य

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

डॉ. आशा लकड़ा/Dr. Asha Lakra
सदस्य/Member
भारत सरकार/Government of India
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
नई दिल्ली/New Delhi

Annexure

National Commission for Scheduled Tribes
Case File No.- NCST/ATY-869/RJ/14/2023-APCR

List of Participants

Officers from National Commission for Scheduled Tribes

Dr. Asha Lakra (In Chair)
Hon'ble Member

Shri H.R. Meena
Research Officer

Shri Vishnu Datt Saini
Investigator

Officers from the O/o Superintendent of Police, Distt.- Kota, Rajasthan

Shri Kavendra Singh Sagar , IPS, DCP East O/o Commissioner of Police

Petitioner
Shri Jagan Singh Meena